



फतेहगढ़ पुलिस




प्रेस नोट – थाना कादरीगेट

दिनांक :- 07.01.2025

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 07/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 बाल अपचारी को चोरी गये मोबाइल व 08 अन्य चोरी किये गये मोबाइल सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस बल द्वारा मु0अ0सं0 07/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 नफर बाल अपचारी को चोरी गये मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया व बाल अपचारियों के पास 08 अन्य चोरी गये मोबाइल बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



घटना का विवरण:- वादी मुकदमा श्री राजवीर पाल पुत्र परशुराम पाल निवासी अंगूरीबाग थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ की तहरीर के आधार पर थाना कादरीगेट पर मु0अ0सं0 07/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस बनाम 02 बाल अपचारी पंजीकृत किया गया । विवेचना के क्रम में दिनांक 06.01.2025 को दोनो बाल अपचारियों को चोरी किये गये मोबाइल सहित गिरफ्तार किया गया । दोनो बाल अपचारियों की जामा तलाशी से अन्य 08

गयी किये गये मोबाइल बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही का जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- दोनो बाल अपचारी ने पूछताछ करने बर बताया कि हम दोनो ने मिलकर विभिन्न स्थानों से यह सारे मोबाइल चोरी किये थे , आगे कुछ ना बताते हुए अपने बयान अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय के समक्ष देना बताया।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.ओप्पो रेनों 115 G माडल CPH- 2599, कलर स्लेटी है।
- 2.सैमसंग गैलेक्सी – A – 23, माडल SM-A235F/D5, कलर स्लेटी है।
- 3.लावा लेक्स 402, माडल लावा जेड 33 कलर नेवी ब्लू।
- 4.सैमसंग गैलेक्सी A04 माडल SM- 04- 5F/D5, कलर गोल्डन।
5. वनप्लस नार्ड CE-3, 5G, माडल CPH-2569कलर आसमानी।
6. MI रेडमी-6A, कलर नेवी ब्ल्यू।
- 7.सैमसंग गैलेक्सी A-14, 5G, कलर मैरून।
8. सैमसंग गैलेक्सी F-15, 5G, माडल- F – 15, 5G, कलर ओसियन लाइट ग्रीन।
9. टेक्नो स्पार्क जिसका रंग फिरोजी काला।

आपराधिक इतिहास दोनो बाल अपचारीगण:-

1. मु0अ0सं0 07/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार कश्यप
2. का0 दीपक कुमार
3. का0 अंकुश देशवाल

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फरुखाबाद

दि0-07.01.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त प्रभात कुमार पुत्र राजाराम वर्मा निवासी तलैया फजल को० फरुखाबाद जिला फरुखाबाद मु०अ०सं०-366/1993 वाद स०-16271/2024 धारा-380,411 भा०द०वि० को० फरुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 07.01.2025 को मा० न्यायालय एसीजेएम एफटीसी कोर्ट फरुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 03 माह का साधारण कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एपीओ- श्रीमती करुणा सिंह



कोर्ट मोहरीर का० अंकुर कुमार



पैरोकार का० रोहित

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फरुखाबाद

दि0-07.01.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त कौशल किशोर उर्फ पप्पू पुत्र जुगुल किशोर निवासी बाग रुस्तम थाना को0 फरुखाबाद जिला फरुखाबाद मु0अ0सं0- 1577/2003 वाद स0-617/2004 धारा- 25 आर्म्स एक्ट को0 फरुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 07.01.2025 को मा0 न्यायालय सीजेएम कोर्ट फरुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर जेल में बिताई गयी अवधि व 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



पीओ- श्री चन्देश कुमार



कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 विजय नारायण



पैरोकार का0 रोहित

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना राजेपुर

दि0-07.01.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त वीरेन्द्र उर्फ रामू पुत्र बाबूसिंह निवासी महमदपुर थाना राजेपुर जिला फर्रुखाबाद मु0अ0सं0- 003/1998 वाद स0-15989/2024 धारा- 25 आर्म्स एक्ट थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 07.01.2025 को मा0 न्यायालय एसीजेएम एफटीसी कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर जेल में बिताई गयी अवधि व 500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एपीओ- श्रीमती करुणा सिंह



कोर्ट मोहरीर का0 अंकुर कुमार



पैरोकार का0 बबलू



